कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

पत्र सं० प–2021/34521/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/6812/वाईएफ दिनांक : अप्रैल/30, 2021

सेवा में,

अधिकृत हस्ताक्षरी,
सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, गोयल कैम्पस,
निकट इन्दिरा कैनाल,
फैज़ाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ।

विषयः– खसरा सं0 747, 748, 749 एवं अन्य, ग्राम अनौरा, निकट इन्दिर कैनाल, फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ में निर्मित स्कूल भवन के अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– कृपया आप अपने पत्र संख्या 1152 दिनांक 15 अप्रैल 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

उक्त विषयक स्कूल भवन में अधिशठापित अग्निशमन प्रणाल का एनबीसी–2005 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, गोमती नगर द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:–

1. **कुल भूखण्ड एरिया–**	**10117.10 वर्गमीटर**
भूतल प्रथम तल का कवर्ड एरिया–	**1464.00 वर्गमीटर**
प्रथम तल का कवर्ड एरिया–	**1464.00 वर्गमीटर**
द्वितीय तल का कवर्ड एरिया–	**1289.00 वर्गमीटर**
तृतीय तल का कवर्ड एरिया–	**1289.00 वर्गमीटर**
ममटी एवं अन्य एरिया–	**52.00 वर्गमीटर**
कुल (योग) एरिया–	**5506.00 वर्गमीटर**

1. प्रश्नगत भवन एन.बी.सी.–2005 पार्ट IV क्लाज 3.1.3 ग्रुप बी एजूकेशनल बिल्डिंग के रूप में वर्गीकृत है।
2. प्रश्नगत भवन की कुल ऊॅचाई ममटी व पैरापिट को छोड़कर 14.70 मीटर प्रस्तावित है।
3. भवन भूतल + तीन अन्य तलों का निर्माण कराया गया है।
4. भवन के चारों तरफ न्यूनतम 06 मीटर सेट बैक सेट छोड़ा जाना प्रस्तावित है जो एन.बी.सी.– 2005 पार्ट III क्लाज 8.2.3.1 में वर्णित मानक के अनुरूप है।
5. प्रश्नगत भवन में 1.50 मीटर चौड़ी 03 स्टेयर केश प्रस्तावित है जो एन.बी.सी.–2005 पार्ट– IV क्लाज 4.9.6 में वर्णित मानक के अनुरूप है।
6. ट्रेवलिंग डिस्टेन्स मानक के अनुरूप है।

<u>अग्निशमन व्यवस्था</u>

1. भवन के प्रत्येक तल पर अग्निशामक उपकरण आई.एस.–2190–1992 व एन.बी.सी.–2005 के अनुरूप अधिष्ठापित किया गए हैं।
2. भवन के प्रत्येक तल पर होज रील आई.एस. 884 एवं एन.बी.सी.–2005 के अनुसार लगायी गई है।
3. डाउन कमर एन.बी.सी.– 2005 के अनुसार लगायी गई है।
4. फायर अर्लाम सिस्टम लगाया गया है।
5. 25,000 लीटर/मिनट क्षमता का टेरेस पम्प लगाते हुए डाउन कमर की सहायता से उसका सम्बन्ध प्रत्येक तल पर लगी होज रील से किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर लखनऊ की आख्या के आधार खसरा सं0 747, 748, 749 एवं अन्य , ग्राम अनौरा निकट इन्दिरा कैनाल, फैजाबाद रोड, चिनहट, लखनऊ में निर्मित स्कूल भवन मे अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है।

1. भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाय कि भवन में अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मैन्टीनेन्स शेडयूल बनाया जाय।

Rina Pathak
Principal
Seth. M. R. Jaipuria School
Goel Campus, Lucknow

Manager
Seth. M. R. Jaipuria School
Goel Campus, Lucknow

2. किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य कराने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
4. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियो का मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाय तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाए।
5. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकायशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/ स्वामी का होगा।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जा रहा है जो तीन वर्षों के लिए वैद्य होगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी/उपनिदेशक फायर
सर्विस परिक्षेत्र
लखनऊ/फैज़ाबाद।

प्रतिलिपिः– अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Principal
Seth. M. R. Jaipuria School
Goel Campus, Lucknow

Manager
Seth. M. R. Jaipuria School
Goel Campus, Lucknow